क्रम-संख्या—195

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्स्ड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 मार्च, 1985

फाल्गुन 27, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 80/सत्रह—वि०-1-171-1981

लखनऊ, 18 मार्च, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1985]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ख) 'गुण्डा' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है--

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यासतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 या धारा 153-ख या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है; या

(2) जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(3) जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 या आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याति है कि वह दुःसाहसिक और जनसमुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति है; या

(5) जो अभ्यासतः स्त्रियों या लड़कियों के प्रति अशिष्ट उक्ति कहता रहा हो या उनसे छेड़खानी करता रहा हो; या

(6) जो दलाल (टाउट) है;

स्पष्टीकरण :--"दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो--

(क) किसी व्यक्ति को अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक या सरकार या संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मण्डल, किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या लोक सेवक से कुछ करने या कुछ करने से प्रविरत रहने या किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह करने या अनुग्रह न करने या किसी व्यक्ति का उपकार या अपकार करने का प्रयत्न करने को उत्प्रेरित करने के लिये प्रतिग्रहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ख) विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप उस व्यवसाय में किसी विधि व्यवसायी का नियोजन प्राप्त करता है या उसको प्राप्त करने के लिये किसी विधि व्यवसायी से या विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, उनमें से किसी के द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप प्रस्ताव करता है; या

(ग) स्पष्टीकरण :--(क) या (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालयों के अहातों में राजस्व या अन्य कार्यालयों, आवासिक कालोनी या निवास स्थानों या उपर्युक्त स्थानों या रेल या बस स्टेशनों, उतरने के स्थानों, ठहरने के स्थानों या अन्य लोक समागम स्थलों के आस-पास आता-जाता है; या

(7) गृह अपग्राही है,

स्पष्टीकरण :--"गृह अपग्राही" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन का, जिसके अन्तर्गत भवन से सम्बद्ध भूमि, बाग, गैराज या बाह्यगृह भी है, अप्राधिकृत कब्जा लेता है या लेने का प्रयत्न करता है या उसके लेने में सहायता देता है या उसके लिये दुष्प्रेरित करता है या भवन में विधिपूर्वक प्रवेश करने के उपरान्त उस पर अविधिपूर्वक कब्जा बनाये रखता है।"

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

(ii) ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) से

(3) तक में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने में या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है; और"

(ख) उपधारा (3) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से यदि कोई हों, और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के भीतर के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र और ऐसे किसी जिले या जिलों या उनके किसी भाग से जो उससे आसन्न हो, स्वयं बाहर चला जाय और उक्त क्षेत्र या उक्त क्षेत्र और ऐसे आसन्न जिला या जिलों या उसके या उनके किसी भाग में, यथास्थिति जहां से उसे स्वयं बाहर जाने का निदेश दिया गया था, तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः मास से अनधिक ऐसी अवधि जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाय; "

धारा-7 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 7 में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, --

(एक) खण्ड (क) में, शब्द और अंक "धारा 76" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 71" और शब्द और अंक "धारायें 75 से 92 तक" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 70 से 85 और 87 से 89 तक" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द और अंक "धारायें 120 से 122 तक व 123-क, 124, 126 व 126-क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 119 से 121 तक, 123 और 124" रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "धारायें 513, 514 व 514-क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 445 से 447 तक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 80(2)/XVII-V-1—171-1981
Dated Lucknow, March 18, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on Decmber 29, 1984:

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. Act no. 1 of 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature).

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 1983.

Amendment of section 2 of U.P. Act 8 of 1971

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (*b*), the following clause shall be *subtituted*, namely:—

"(*b*) 'Goonda' means a person who—

(i) either by himself or as a member or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit, or abets the commission of an offence punishable under section 153 or section 153-B or section 294 of the Indian Penal Code or Chapter XV, Chapter XVI, Chapter XVII or Chapter XXII of the said Code; or

(ii) has been convicted for an offence punishable under the Suppersion of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956; or

(iii) has been convicted not less than thrice for an offence punishable under the U. P. Excise Act, 1910 or the Public Gambling Act, 1867 or section 25, section 27 or section 29 of the Arms Act, 1959; or

(iv) is generally reputed to be a person who is desperate and dangerous to the community; or

(v) has been habitually passing indecent remarks or teasing women or girls; or

(vi) is a tout;

Explanation—'Tout' means a person who—

(*a*) accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means any public servant or member of Government, Parliament or of State Legislature, to do or forbear to do anything or to show favour or disfavour to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person, with the Central or State Government, Parliament or State Legislature, any local authority, corporation, Government Company or public servant; or

(*b*) procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner interested in any legal business, or proposes to any legal practitioner or to any person interested in legal business to procure, in consideration of any remuneration moving from either of them, the employment of legal practitioner in such business; or

(*c*) for the purposes mentioned in explanation (*a*) or (*b*), frequents the precincts of civil, criminal or revenue courts, revenue or other offices, residential colonies or residences or vicinity of the aforesaid or railway or bus stations, landing stages, lodging places or other places of public resort; or

(vii) is a house grabber.

Explanation—'House-grabber' means a person who takes or attempts to take or aids or abets in taking unauthorised possession or having lawfully entered unlawfully remains in possession, of a building including land, garden, garages or out-houses appurtenant to a building."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*), *for* sub-clause (ii) the following sub-clause shall be *substituted*, namely:—

"(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of an offence referred to in sub-clauses (i) to (iii) of clause (*b*) of section 2, or in the abetment of any such offence; and"

(*b*) in sub-section 3, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) direct him to remove himself outside the area within the limits of his local jurisdiction or such area and any district or districts or any part thereof, contiguous thereto, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order and to desist from entering the said area or the area and such contiguous district or districts or part thereof, as the case may be from which he was directed to remove himself until the expiry of such period not exceeding six months as may be specified in the said order;".

4. In section 7 of the principal Act,— *Amendment of section 7*

(*a*) in sub-section (1), *for* the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2),—

(i) in clause (*a*) *for* the word and figures "section 76" the word and figures "section 71",and for the words and figures "sections 75 to 92", the words and figures "sections 70 to 85 and 87 to 89" shall be *substituted*;

(ii) in clause (*b*), *for* the words and figures "sections 120 to 122, 123-A, 124, 126 and 126-A" the words and figures "sections 119 to 121, 123 and 124" shall be *substituted*;

(iii) in claues (*c*), *for* the words and figures "sections 513, 514 and 514-A" the words and figures "sections 445 to 447" shall be *substituted.*

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 287 सा0 (विधा0)—(4063)—1985—750 (मेके0)।